

वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक संक्षिप्त परिचय

जी०एस०टी० का भारत मे आगमन अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्र एवं राज्यों के अनेक करों के एकीकरण तथा पूर्व मे किए गए कर भुगतान की आई०टी०सी० मिलने के कारण यह जहां करों के अध्यारोही प्रभाव को कम करेगी, वही इससे एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की भी स्थापना होगी। उपभोक्ताओं के लिए इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ करो का बोझ कम होना होगा जो वर्तमान मे लगभग 25–30 प्रतिशत संभावित है। इससे हमारे उत्पादो के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतिस्पर्धी होने की भी संभावना है। इससे आर्थिक वृद्धि होगी तथा कर आधार बढ़ने, व्यापार बढ़ने तथा कर व्यवस्था के सरलीकृत होने के कारण केन्द्र एवं राज्यों के राजस्व मे भी वृद्धि की सभावना है। पारदर्शिता के कारण इसे प्रशासित करना भी सरल होगा।

भारत मे जी०एस०टी० लागू करने की अवधारणा प्रथमतः वर्ष 2006–07 के केन्द्रीय बजट मे दृष्टिगोचर हुई। राज्यों के वित मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को जी०एस०टी० के लिए एक रोड मैप बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस हेतु केन्द्र एवं राज्य के अधिकारियों के संयुक्त समूह गठित किये गये तथा उन्हें जी०एस०टी० के विभिन्न विषयों यथा करमुक्ति, थ्रेसहोल्ड, सेवाओं पर करारोपण, अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति पर करारोपण आदि पर रिपार्ट प्रस्तुत करने का कार्य दिया गया। उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार–विमर्श एवं केन्द्र सरकार से वार्ता के बाद अधिकार प्राप्त समिति(इम्पार्वर्ड कमेटी) द्वारा नवम्बर 2009 मे "First Discussion paper on GST" जारी किया गया। इसके द्वारा जी०एस०टी० की महत्वपूर्ण विशेषताएं इंगित की गई तथा यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच भविष्य के विचार–विमर्श का आधार था।

जी०एस०टी० की मुख्य विशेषताओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है ।

- वर्तमान मे वस्तुओं के निर्माण, उनकी बिक्री तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के बिन्दु पर करदेयता है, जबकि इसके विपरीत जी०एस०टी० मे वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर करदेयता होगी। यह एक गन्तव्य आधारित उपभोग कर होगा।
- यह एक दोहरी जी०एस०टी० प्रणाली है जिसमे केन्द्र एवं राज्य द्वारा समान कर आधार पर करारोपण होगा। प्रान्तीय बिक्री पर केन्द्र द्वारा लगाई जाने वाली जी०एस०टी० CGST कही जाएगी जबकि उपरोक्त पर राज्य द्वारा लगाई जाने वाली जी०एस०टी० SGST होगी।

- यह मानवीय उपभोग हेतु शराब तथा पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम क्रुड, पेट्रोल, हाईस्पीड डीजल, नेचुरल गैस तथा ए०टी०एफ० को छोड़ कर सभी वस्तुओं की आपूर्ति पर आरोपित होगा। यह कुछ निर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर आरोपित होगा।
- तंबाकू और तंबाकू उत्पादों को जी०एस०टी० के अधीन किया जाएगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार इन उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भी लगा सकती है। जी०एस०टी० में केन्द्र के निम्न कर समाहित होंगे।

1-Central Excise duty

2-Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations)

3-Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance)

4-Additional Duties of Excise (Textiles and Textile products)

5-Additional Duties of Excise (Commonly known ad CVD)

6-Special Additional Duties of Customs (SAD)

7-Service Tax

जी०एस०टी० में राज्य के निम्न कर समाहित होंगे।

1-State VAT

2-Central Sales Tax

3-Luxury Tax

4-Entry Tax in lieu of octroi

5-Entertainment Tax(not levied by the local bodies)

6-Taxes on advertisements

7-Purchase Tax

8-Taxes on lotteries, betting and gambling

9-State cesses and surcharges insofar as they relate to supply of goods and services

- वस्तुओं एवं सेवाओं की अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति पर IGST(Integrated GST) केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित की जाएगी। केन्द्र तथा राज्यों के बीच समय-समय पर लेखाओं का मिलान होगा ताकि IGST का वह हिस्सा जो SGST का है, उपभोक्ता राज्य को हस्तान्तरित हो सके।

- करदाता पूर्व में कच्चे माल /निर्मित माल की खरीद के लिए किए गए कर भुगतान का लाभ अपनी आपूर्ति पर देय कर हेतु ले सकेगा, परन्तु SGST की ITC का लाभ CGST हेतु अथवा CGST की ITC का लाभ SGST हेतु नहीं लिया जा सकेगा। IGST की ITC का लाभ कमिक रूप से IGST,CGST, SGST में लिया जा सकेगा।
- वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु जी0एस0टी0 में HSN कोड का प्रयोग किया जाएगा। डेढ़ करोड़ से पाँच करोड़ टर्नओवर तक के व्यापारियों को दो डिजीट का कोड तथा इससे ऊपर टर्नओवर पर चार डिजीट का कोड उल्लेखित करना होगा।
- निर्यात शून्य कर दर पर होगा परन्तु पूर्व में की गई खरीदों पर ITC अनुमन्य होगा।
- वस्तुओं एवं सेवाओं का देश बाहर से आयात अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति माना जाएगा तथा इस पर IGST देय होगा जो लागू कस्टम ड्यूटी के अतिरिक्त होगा।
- SGST एवं CGST, के आरोपण एवं संग्रहण की विधियाँ, नियम तथा तरीके सामान्यतया समान होंगे।

जी0एस0टी0 एवं केन्द्र एवं राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध

- वर्तमान में संविधान द्वारा केन्द्र तथा राज्यों की वित्तीय शक्तियों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें एक-दूसरे के क्षेत्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं है।
- केन्द्र को मानवीय प्रयोग हेतु शराब,ओपियम एवं नारकोटिक्स आदि को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण पर करारोपण का अधिकार है। जबकि राज्यों को वस्तुओं की बिक्री पर करारोपण का अधिकार है।
- केन्द्रीय बिक्री की स्थिति में केन्द्र को करारोपण का अधिकार है, लेकिन यह कर राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है तथा राज्यों द्वारा स्वयं रख लिया जाता है। सेवाओं के मामले में केवल केन्द्र सरकार को ही सेवाकर लगाने का अधिकार है।
- जी0एस0टी0 लागू किए जाने पर केन्द्र एवं राज्य दोनों को कर लगाने एवं एकत्र करने का अधिकार दिए जाने हेतु संविधान संशोधन अपेक्षित है तथा केन्द्र एवं राज्यों को एक समान क्षेत्राधिकार दिए जाने के लिए एक विशिष्ट संरचना स्थापित किया जाना आवश्यक होगा, जिसमें जी0एस0टी0 के स्वरूप एवं क्रियान्वयन के संबंध में केन्द्र एवं राज्य दोनों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जा सके तथा इसे प्रभावी बनाने के लिए इस संरचना को संविधान द्वारा शक्ति प्रदत्त होना भी अपेक्षित है।
- उपयुक्त सभी का समाधान किए जाने हेतु लोकसभा में 122 संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया गया जो मई 2015 में पारित कर दिया गया है। यह बिल राज्यसभा में लंबित है तथा इस बिल के मुख्य बिन्दु निम्नवत है।:-

122वाँ संविधान संशोधन विधेयक

- मानवीय प्रयोग हेतु शराब को छोड़कर जी0एस0टी0 सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर आरोपित किया जाएगा।
- यह कर संघ एवं राज्यों द्वारा दोहरे जी0एस0टी0 के रूप में अलग-अलग आरोपित किया जाएगा।
- केन्द्र द्वारा आरोपित किये जाने वाले (CGST) के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा एवं इसी प्रकार राज्यों द्वारा आरोपित किए जाने वाला कर (SGST) के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्यों की विधायिका को होगा।
- वस्तुओं/सेवाओं की अर्तप्राप्तीय आपूर्ति की स्थिति में (IGST) लागू होगी तथा इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा।'
- अर्तराज्यी व्यापार के संबंध में जी0एस0टी0 आरोपित एवं संग्रहीत करने का अधिकार भारत सरकार को होगा तथा यह कर जी0एस0टी0 काउंसिल की संस्तुति के आधार पर केन्द्र एवं राज्यों के बीच संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर हस्तान्तरित किया जाएगा।
- पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद जी0एस0टी0 की परिधि में हैं किन्तु यह निर्णय लिया गया है कि क्रियान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में इन्हें जी0एस0टी0 से बाहर रखा जाएगा।
- तंबाकू और उसके उत्पादों पर केन्द्र सरकार को जी0एस0टी0 के अतिरिक्त excise duty भी लगाने का अधिकार होगा।
- मनोरजन एवं विनोद पर, पंचायत, नगरपालिका, क्षेत्रीय परिषद या जिलापरिषद द्वारा आरोपित किए जाने वाले कर जी0एस0टी0 में सम्मिलित नहीं होंगे।
- क्रियान्वयन के आरंभिक वर्षों में राज्यों को होने वाली संभावित राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति केन्द्र द्वारा किए जाने हेतु जी0एस0टी0 काउंसिल की संस्तुति पर संसद द्वारा विधेयक बनाकर प्रावधान किया जाएगा और यह क्षतिपूर्ति पांच वर्षों के लिए होगी।
- एक जी0एस0टी0 काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसके चैयरमैन केन्द्रीय वित्तमंत्री होंगे एवं राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री इसके संदर्भ होंगे।

इसके द्वारा निम्नवत के विषय में संस्तुति की जाएगी।

- ऐसे उपकरकर एवं अधिभार जो जी0एस0टी0 में सम्मिलित किए जाएंगे।
- ऐसी वस्तुएँ/सेवाएँ जिन्हे जी0एस0टी0 के अर्तगत अथवा करमुक्त रखा जाएगा।

- पेट्रोलियम एवं उसके उत्पादों पर जी0एस0टी0 लागू किए जाने की तिथि ।
- माडल जी0एस0टी लॉ, करारोपण के सिद्धांत तथा **IGST** का वितरण एवं आपूर्ति के स्थान के विनियमन सम्बन्धी सिद्धान्तः
- थ्रेसहोल्ड जिसके नीचे के व्यापारियों को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा जाएगा ।
- जी0एस0टी0 में कर की दरे, फलोर रेट, एवं कर पद्धति, बैण्ड आदि ।
- प्राकृतिक आपदाओं या दैवीय आपदाओं की स्थिति में अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कर की विशिष्ट दरों का निर्धारण ।
- उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष प्रावधान ।
- जी0एस0टी0 कांउसिल की स्थापना के द्वारा जी0एस0टी के विभिन्न आयामों में केन्द्र एवं राज्यों तथा राज्यों के बीच समरूपता सुनिश्चित हो सकेगी ।
- जी0एस0टी0 कांउसिल द्वारा अपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जी0एस0टी0 का समरूप ढांचा एवं व्यवस्था एवं सेवाओं हेतु समरूपता तथा राष्ट्रीय बाजार के सिद्धांत को विशेष रूप से स्वयं हेतु सिद्धान्त के रूप में माना जाएगा ।
- जी0एस0टी0 कांउसिल अपनी संस्तुति के आधार पर उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए भी तरीके निर्धारित करेगा ।
- प्रश्नगत संविधान संशोधन बिल के मानसून सत्र में राज्यसभा से पारित हो जाने की सम्भावना हैं । इसके उपरान्त इसे आधे से अधिक राज्य विधान सभाओं से पारित कराना होगा तथा राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद ही इसके क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया पूर्ण होगी ।
- इसके उपरान्त **SGST** हेतु राज्य विधायिकाओं से तथा **CGST** एवं **IGST** हेतु संसद से विधान पारित करना होगा । जहाँ संविधान संशोधन हेतु दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, वही जी0एस0टी0 लॉ पारित करने हेतु साधारण बहुमत ही पर्याप्त होगा । वैट से इतर **IGST** व्यवस्था की पूर्ण सफलता तभी सम्भव होगी जब केन्द्र तथा सभी राज्य इसे एक साथ लागू करें ।

जी0एस0टी0 क्रियान्वयन हेतु उठाए गए कदम तथा कार्य योजना

1. माडल जी0एस0टी0 लॉ :-

- केन्द्र एवं राज्य के कराधान अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से निर्मित माडल जी0एस0टी0 लॉ लोगों की टिप्पणी एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु वित्त विभाग भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया गया है । इस माडल CGST/SGST में पच्चीस अध्याय, 162 धाराएं तथा चार

अनुसूचियों हैं। इस प्रस्ताव में कराधान बिन्दु, करयोग्य व्यक्ति, आपूर्ति का समय, आपूर्ति का मूल्यांकन तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धी प्राविधान दिए गए हैं। यह विधि प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक पहलुओं के साथ साथ पंजीयन, रिटर्न दाखिला, कर निर्धारण, कर भुगतान, लेखाओं के रखरखाव, रकम वापसी, लेखापरीक्षा, मॉग एवं आर्थिक दण्ड, अभियोजन, अपील एवं पुर्नविचार, एडवान्स रूलिंग तथा सधिकाल हेतु प्राविधान आदि भी स्वयं में समेटे हुए हैं।

- जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत करयोग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान किया जाएगा। थ्रेशहोल्ड लिमिट से अधिक टर्नओवर होने यथा दस लाख से अधिक टर्नओवर होने पर करदेयता होगी। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के सभी प्रान्तीय संव्यवहारों पर CGST तथा SGST देय होगा जबकि अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर IGST देय होगा। जिन संव्यवहारों में आपूर्तिकर्ता तथा प्राप्तकर्ता का स्थान एक ही राज्य में होगा वे प्रान्तीय संव्यवहार होगे जबकि इनके भिन्न-2 राज्य में स्थित होने पर ये अन्तर्राज्यीय (IGST) के संव्यवहार होंगे। इनपर लगने वाले कर की दर सम्बन्धित कानूनों में अनुसूची में उल्लिखित कर दर होगी।
- प्रस्तावित IGST विधि ग्यारह अध्यायों में है जिसमें 33 धाराएं हैं। ड्राफ्ट में वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने हेतु विधियों हैं। जहाँ आपूर्ति में वस्तुओं का स्थानान्तरण होना है, वहाँ आपूर्ति का स्थान वह जगह होगी जहाँ प्राप्तकर्ता को देने हेतु संव्यवहार अन्तिम रूप से समाप्त होता है। जहाँ आपूर्ति में वस्तु का स्थानान्तरण नहीं होता है तो आपूर्ति का स्थान वह होगा जहाँ वस्तु की आपूर्ति प्राप्तकर्ता को दी गई हो। वस्तु को एकीकृत कर स्थापना करने अथवा किसी मशीन के किसी स्थान पर लगाकर देने पर आपूर्ति का स्थान स्थापना का स्थान होगा। किसी वाहन में यात्रा के दौरान वस्तु के स्थानान्तरण पर आपूर्ति का स्थान वह जगह होगी जहाँ माल बोर्ड हेतु लिया जाता है।
- सेवाओं की आपूर्ति के स्थान सम्बन्धी प्राविधान भी इस विधि में प्राविधानित है। कुछ निर्धारित अपवादों के अतिरिक्त यदि सेवा की आपूर्ति पंजीकृत व्यापारी को होती है तो प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यापारी का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा। यदि यह आपूर्ति अपंजीकृत को होती है परन्तु अपंजीकृत का पता रिकार्ड पर है तो अपंजीकृत का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा। अपंजीकृत का पता उपलब्ध न होने पर आपूर्ति का स्थान सेवा प्रदाता का पता होगा। मॉडल IGST लॉ में अपवाद नियमों, जो अचल सम्पत्ति, रेस्टोरेन्ट कैटरिंग, ट्रेनिंग, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय सेवाओं हेतु लागू होगे, का भी प्राविधान है।

- प्रस्तावित IGST विधि IGST की ITC के एक दूसरे में से भी लाभ लेने की व्यवस्था करती है। यदि IGST की क्रेडिट का लाभ CGST के भुगतान हेतु लिया जाता है तो केन्द्र सरकार उतनी रकम IGST खाते से CGST खाते में स्थानान्तरित कर देगी। इसी प्रकार SGST में IGST से क्रेडिट लेने पर केन्द्र सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार के खाते में उतनी रकम स्थानान्तरित कर देगी। विधि में IGST में प्राप्त कर के केन्द्र तथा राज्य के बीच बंटवारे तथा प्राप्त राशियों के उनके बीच समायोजन का प्राविधान भी है। CGST विधि के अनेक प्राविधान यथा पंजीयन, मूल्यांकन, कर निर्धारण, आडिट, निरीक्षण, जब्ती, अपील आदि IGST में भी उसी रूप में लागू होगे।
- माडल जी0एस0टी0लॉ को तैयार करने में कुछ नीतिगत मुद्दों को ध्यान में रखा गया है जैसे कर कानूनों में स्पष्टता, प्रशासनिक सरलता, कर दाताओं हेतु सहयोगी होना तथा 'ईज ऑफ ड्रॉइंग बिजनेस' के विचार को बढ़ावा देना। विवादों के निपटारे हेतु एक स्पष्ट व्यवस्था का निर्माण किया गया है।

व्यापारी का विभाग से न्यूनतम व्यक्तिगत सम्पर्क

- पंजीयन आनलाईन मिलेगा तथा तीन दिन में कोई कमी सूचित न किये जाने पर अपने आप मिल जाएगा।
- करयोग्य व्यक्ति अपना कर निर्धारण स्वयं करेगा तथा अपेक्षित रकम सरकार के खाते में जमा करेगा।
- कर जमा भी आनलाईन ही होगा केवल छोटे व्यापारी बैंक में काउन्टर पर GST आनलाईन जेनरेटेड चालान के द्वारा कर जमा कर सकेगे।
- करदाता व्यापारी अपनी खरीद एवं बिक्री का विवरण इलेक्ट्रानिक रूप में आनलाईन दाखिल करेगें। अधिकारियों से किसी सम्पर्क की आवश्यकता नहीं होगी।
- सामान्य व्यापारी अपना रिटर्न मासिक रूप से आनलाईन प्रस्तुत करेंगे जबकि समाधान के व्यापारी उपरोक्तानुसार त्रैमासिक रिटर्न देंगे। रिटर्न में उपयोग की गई ITC, प्राप्त ITC, देय कर, जमा कर तथा अन्य निर्धारित विवरण होंगे। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से पहले कभी भी पूर्व रिटर्न में पाई गई गलतियों संशोधित की जा सकेगी।
- आई0टी0सी0 मैचिंग, रिवर्सल, तथा पुर्नदावा जॉच आदि समस्त कार्य जी0एस0टी0एन0 पोर्टल के द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से होंगे जिसमें व्यापारी से कोई सम्पर्क नहीं होगा तथा इससे आई0टी0सी0 के गलत दावों तथा ITC दोहराव को भी रोका जा सकेगा।

- व्यापारी कर दाता को अपनी लेखाबहियों तथा अन्य अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक फार्म मे रखने की छूट होगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट-(ITC)

- अधिकतर कर विवाद आई0टी0सी0 जनित होने के कारण इसे न्यूनतम करने हेतु माडल जी0एस0टी0 लॉ में स्पष्ट प्राविधान किए गए हैं तथा प्रक्रिया निर्मित की गई है।
- करदाता द्वारा अपने इनपुट पर दिए गए कर का क्रेडिट लाभ कर भुगतान में स्वकर निर्धारण द्वारा स्वतः ही लेना अनुमन्य होगा तथा केवल नकारात्मक सूची की सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तु/सेवा की I.T.C. का लाभ कर भुगतान हेतु लिया जा सकेगा।
- इनपुट पर भुगतान किए गए कर की I.T.C. तभी मिलेगी जब वह इनपुट व्यापार की वस्तुओं हेतु हो अथवा करयोग्य आपूर्ति हेतु हो।
- कैपिटल गुड्स पर पूर्ण I.T.C. का लाभ केन्द्र सरकार के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार दिया जाएगा।
- अप्रयुक्त I.T.C. अग्रेनीत की जा सकती है।
- समूह की कम्पनियों में भी I.T.C. वितरण हेतु व्यवस्था निर्धारित की गई है।

रिफन्ड

- रिफन्ड सम्बन्धी प्राविधानों को सरल तथा कर दाताओं हेतु अत्यधिक सुविधाजनक बनाया गया है।
- रिफन्ड आवेदन के लिए समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है।
- दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ आनलाईन रिफन्ड आवेदन होगा तथा रिफण्ड बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदक के बैंक खाते में जाएगा।
- रिफन्ड पर आवेदन प्राप्ति के 90 दिनों के अन्दर निर्णय ले लिया जाएगा अन्यथा ब्याज देय है।
- यदि रिफन्ड की रकम रूपये पाँच लाख से कम है तो आवेदनकर्ता द्वारा कर भार अन्तरित न करने की स्वतः घोषणा पर्याप्त होगी। कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं देना होगा।

- I.T.C. का रिफन्ड निर्यात के मामलों में अनुमन्य होगा। यह ऐसे मामलों में भी अनुमन्य होगा जहाँ यह अलग अलग (Inverted) कर ढांचे के कारण है यथा जहाँ कच्चे माल तथा निर्मित माल पर कर दरें भिन्न भिन्न हों।
- निर्यात के मामलों में रिफन्ड आवेदन पर 80% का भुगतान अस्थायी तौर पर बिना प्रमाणों के सत्यापन किए ही कर दिया जाएगा।

मॉग (Demands)

- कर निर्धारण वादों के लम्बे समय तक निस्तारित न होने की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए जी0एस0टी0 में कर निर्धारण वादों के निपटारे हेतु 'सनसेट क्लाज' का प्राविधान रखा गया है।
- सामान्य मामलों में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के तीन वर्षों के अन्दर आदेश पारित करना होगा।
- फ्राड तथा टर्नओवर छिपाने के मामलों में यह सीमा पाँच साल होगी।
- कारण बताओं नोटिस तथा आदेश हेतु अलग अलग समय सीमा नहीं होगी।
- वादों के सेटलमेन्ट की सुविधा व्यापारी को प्रत्येक स्तर पर दी गई है। आडिट, निरीक्षण, कर निर्धारण आदेश तथा उसके बाद भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।
- यदि आडिट/निरीक्षण के समय भी कम जमा अथवा जमा न किया गया कर ब्याज के साथ जमा कर दिया जाता है तो अर्थदण्ड न्यूनतम लगेगा।
- कर निर्धारण अधिकारी अपने आदेश में प्रासंगिक तथ्यों एवं निर्णय के आधार का उल्लेख करेगा।
- आदेश में वर्णित कर, ब्याज अथवा अर्थदण्ड की मॉग उस रकम से अधिक नहीं होगी जो नोटिस में उल्लिखित थी।
- नोटिस में पूछे गए बिन्दुओं के अतिरिक्त आदेश में अतिरिक्त रूप से अन्य नए आधार नहीं लिए जाएंगे।

लेखा परीक्षण (Audit)

- लेखा परीक्षा का तरीका कर दाताओं हेतु एक संवेदनशील बिन्दु रहा है। इसलिए माडल GST लॉ में इसे उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया गया है।
- अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में लेखापरीक्षा व्यापार स्थल पर ही जाकर करने की आवश्यकता नहीं है। इसे विभागीय कार्यालय में भी किया जा सकता है।

- व्यापारी को आडिट करने से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी।
- आडिट पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा इसे प्रारम्भ करने की तिथि से तीन माह में पूर्ण करना होगा।
- आडिट पूर्ण होने के बाद बिना विलम्ब किए आडिट अधिकारी व्यापारी को आडिट में पाए गए तथ्य, उसके अधिकार एवं दायित्व तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार की जानकारी देगा।

अर्थदण्ड सम्बंधी सामान्य अनुशासन

- व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण समस्या अधिकारियों द्वारा छोटी-छोटी गलतियों पर भी बड़े अर्थदण्ड लगाना है। इस समस्या को दूर करने के भी प्रावधान किए गए हैं।
- कर नियमों अथवा प्रक्रिया की छोटी-छोटी गलतियों के मामलों में अर्थदण्ड नहीं लगाया जाएगा।
- यदि दस्तावेजों में कोई तथ्य रह गया हो अथवा गलत उल्लिखित हो गया हो परन्तु फ्राड अथवा जानबूझकर लापरवाही न हो तथा उसका आसानी से संशोधन सम्भव हो तो अर्थदण्ड नहीं लगाया जाएगा।
- अर्थदण्ड उल्लंघन की गम्भीरता तथा स्तर के अनुरूप ही लगेगा।
- कोई अर्थदण्ड कारण बताओं नोटिस जारी करने के बाद तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर ही आरोपित किया जाएगा।
- आदेश में अपराध का प्रकार, सम्बन्धित विधिक प्रावधान तथा आदेश के तार्किक आधार लिपिबद्ध होंगे।
- यदि व्यापारी द्वारा अपने आर्थिक अपराध का स्वयं प्रकटीकरण किया जाता है तो अर्थदण्ड पर अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्ण ढंग से विचार किया जाएगा।

विवादों के समाधान हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

- विवाद समाधान के पुराने सभी तरीके यथा एडवान्स रूलिंगं तथा सेटलमेन्ट कमीशन जी०एस०टी० में भी रहेंगे।
- एडवान्स रूलिंगं अब अधिक विषयों पर प्राप्त की जा सकेगी। विषयों में वस्तु अथवा सेवाओं का वर्गीकरण, मूल्यांकन के तरीके, कर दर, इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता, करदायित्व, पंजीयन दायित्व तथा कोई विशेष संव्यवहार आपूर्ति है अथवा नहीं शामिल होंगे।
- एडवान्स रूलिंगं के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

- सेटलमेन्ट कमीशन की व्यवस्था केवल **IGST** लॉ में हैं।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

- वर्तमान व्यवस्था से जी०एस०टी० में अन्तरित होने हेतु सरल प्रावधान बनाए गए हैं।
- वर्तमान में पंजीकृत व्यापारियों को छः माह के लिए वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रारम्भ में जारी किया जाएगा तथा अपेक्षित सूचनाए प्राप्त करा देने पर इसे स्थायी कर दिया जाएगा।
- सेनवैट अथवा वैट से रिटर्न में लाई गई **ITC** का लाभ कुछ शर्तों के साथ अनुमन्य होगा। कैपिटल गुद्धस पर सेनवेट क्रेडिट जिसे रिटर्न में अग्रसारित न किया गया हो, का लाभ भी कुछ शर्तों के अधीन लिया जा सकेगा।
 - स्टाक के उपलब्ध इनपुट पर दी गई ड्यूटीज तथा करों का लाभ **ITC** के रूप में कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा। यह सुविधा समाधान से सामान्य के रूप में परिवर्तित हो रहे व्यापारी को भी उपलब्ध होगी।
 - जी०एस०टी० लगने से पूर्व भेजा गया माल यदि जी०एस०टी० लगने के छः माह के अन्दर वापस आता है तो उस पर कोई करदेयता नहीं होगी। यही प्रक्रिया जाबवर्क अथवा अन्य संवर्धन प्रक्रिया हेतु भेजे गए माल हेतु भी होगी।
 - पूर्व की विधि में अनिस्तारित रिफन्ड के आवेदन उसी विधि के अनुसार निस्तारित होगे तथा वापसी नगद में कुछ शर्तों के अधीन होगी। यही प्रक्रिया सेनवैट क्रेडिट / **ITC** क्रेडिट हेतु भी होगी।
 - यदि किसी संव्यवहार पर कर का पूर्ण भुगतान जी०एस०टी० आने के पूर्व की विधि के अन्तर्गत हों चुका हो, तथा उस संव्यवहार का एक हिस्सा जी०एस०टी० लागू होने के बाद व्यवहरित किया जा रहा हो तो उस पर कोई करदेयता नहीं होगी।
 - यदि जी०एस०टी० लगने से पूर्व स्वीकार करने हेतु भेजा गया कोई माल जी०एस०टी० लगने के बाद अस्वीकार कर छः माह के अन्दर वापस किया जाए तो उस पर कोई करदेयता नहीं होगी।

मॉडल जी०एस०टी० लॉ के अन्य प्रावधान

- इस विधि के अन्य अनेक प्रावधान करदाताओं हेतु सुविधाजनक तथा व्यापारिक संवर्द्धन हेतु उपयोगी है।
- वस्तुओं का मूल्यांकन उनके संव्यवहार मूल्य पर किया जाएगा यथा इनवायस में वर्णित मूल्य पर। यह प्रक्रिया वर्तमान में सेन्ट्रल एक्साइज एवं कस्टम विधियों में प्रभावी है।

- सभी माहों हेतु कर का भुगतान अगले माह किया जाएगा। मार्च के कर का भुगतान भी अप्रैल में किया जाएगा न कि मार्च में, जैसा कि अभी प्रचलित है। समाधान व्यापारियों द्वारा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने के कारण उनके द्वारा त्रैमास के ठीक बाद वाले महीने में कर जमा किया जाएगा।
- करदाताओं को पूर्व में जारी इनवायस के विरुद्ध अनुपूरक इनवायस अथवा संशोधित इनवायस जारी करने का अधिकार होगा।
- करदाताओं को अपनी खरीद-बिक्री तथा रिटर्न का विवरण टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के द्वारा दाखिल कराने की सुविधा होगी।
- यदि व्यापारी स्वयं की करदेयता अथवा कर दर निश्चित नहीं कर पाता है तो उसे अस्थायी कर निर्धारण की सुविधा होगी।
- व्यापारी को कर भुगतान हेतु NEFT/RTGS, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेन्ट की नई सुविधा दी गई है।
- कमिशनर को कर भुगतान हेतु समय बढ़ाने अथवा किस्तों निर्धारित करने का अधिकार होगा।
- जॉब वर्क की सुविधा जी0एस0टी0 में भी उपलब्ध होगी।
- ई-कामर्स कम्पनियों द्वारा अपने ऑनलाईन प्लेटफार्म से की जा रही आपूर्ति पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर स्रोत पर ही कर कटौती कर ली जाएगी परिणामतः प्रवेश कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- निर्यात पर करदेयता शून्य होगी परन्तु पूर्व खरीदों पर आई0टी0सी0 अनुमन्य होगी।
- किन्हीं प्राकृतिक कारणों से आपूर्ति की मात्रा में कमी पाए जाने पर सरकार को करदायित्व से छूट देने का अधिकार होगा।
- वस्तु तथा सेवा के बीच की अस्पष्टता को दूर करने के लिए द्वितीय अनुसूची का प्रावधान किया गया है यथा इसमें अदृश्य की आपूर्ति, कार्य सविदा आपूर्ति, लीज पर देना, तथा रेस्टोरेन्ट आपूर्ति को सेवाओं की आपूर्ति माना गया है। उपरोक्त वर्गीकरण से कर वर्गीकरण हेतु विवाद के अन्त की सम्भावना है।

जी0एस0टी0 के नियम तथा उपनियम

- जी०एस०टी० लागू करने से पूर्व इस हेतु नियम तथा उपनियम बना लेना भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कार्य केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सी०बी०ई०सी० द्वारा इस हेतु एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है।

आई०टी० सम्बन्धी तैयारी

- जी०एस०टी० लागू करने हेतु एक सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी संरचना एक अनिवार्य आवश्यकता है तथा इस हेतु 'स्पेशल परपज छीकल' के रूप में जी०एस०टी०एन० (GSTN) की स्थापना की गई है। यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, करदाताओं तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स को सहभागिता आधारित नेटवर्क उपलब्ध कराएगा। जी०एस०टी०एन० के कार्यों में पंजीयन हेतु सुविधा देना, रिटर्न को केन्द्रीय तथा राज्य के अधिकारियों को भेजना, **IGST** की गणना एवं सेटलमेन्ट, कर भुगतानों का बैंको से मिलान, रिटर्न के आधार पर विभिन्न **MIS** रिपोर्ट उपलब्ध कराना, करदाताओं की प्रोफाईल का अनुशीलन कर आंकड़े उपलब्ध कराना तथा **ITC** मैचिंग, रिवर्सल आदि शामिल हैं।
- जी०एस०टी०एन० द्वारा एक कामन जी०एस०टी० पोर्टल बनाया जा रहा है। जिस पर पंजीयन, रिटर्न, पेमेन्ट तथा **MIS** रिपोर्ट के ढांचे उपलब्ध होंगे। जी०एस०टी०एन० द्वारा वर्तमान कर प्रणालियों में प्रयोग हो रहे आई०टी० सिस्टम से भी स्वयं को जोड़ा जा रहा है। जी०एस०टी०एन० द्वारा 19 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के बैक एण्ड माड्यूल का भी निर्माण एवं रखरखाव किया जाएगा। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। बैकएण्ड माड्यूल में कर निर्धारण, आडिट, रिफन्ड, अपील इन्फोर्मेन्ट आदि पर माड्यूल बनाए जाएंगे। अन्य 15 राज्यों एवं **CBEC** के द्वारा जी०एस०टी० बैकएण्ड सिस्टम स्वयं बनाने का निर्णय लिया गया है, जी०एस०टी० के फ्रन्टएण्ड सिस्टम का बैकएण्ड सिस्टम से इन्टीग्रेशन कर इसे पूर्ण कर लिया जाना जी०एस०टी० युग में जाने हेतु आवश्यक है।

प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं।

- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जी०एस०टी० विधि, नियम एवं प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने हेतु एक विस्तृत समय सारिणी तैयार की गई है। केन्द्र सरकार से 10 अधिकारियों एवं राज्यों से 15 अधिकारियों को लेकर 25 अधिकारियों को 'सोर्स ट्रेनर' बनाया गया है जो केन्द्र तथा राज्य के 300 (तीन सौ) मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देंगे। ये मास्टर ट्रेनर्स केन्द्र तथा राज्य के 1600 (सोलह सौ) ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करेंगे तथा ये 1600 ट्रेनर्स केन्द्र तथा राज्य के लगभग 70000 (सत्तर हजार)

अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस हेतु प्रजेन्टेशन एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर ली गई है। ये प्रशिक्षण सत्र देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे।

- जी०एस०टी० में व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं जितना अधिकारियों को। इस हेतु जी०एस०टी० लॉ, नियम एवं प्रक्रिया पर देश के 50 शहरों में सेमिनार/वर्कशाप आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- कुछ उद्योग विशेष हेतु भी अलग से उनके शहरों में सेमिनार आयोजन प्रस्तावित है जैसे आई०टी०,इ०-कॉमर्स, टेलीकम्युनिकेशन, वित्तीय सेवाएं जैसे विशेष उद्योगों हेतु नई दिल्ली, बंगलौर,मुम्बई आदि में आयोजन होगा। जी०एस०टी०एन० द्वारा आई०टी० सिस्टम पर अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को जी०एस०टी० से होने वाले लाभों से अवगत कराना भी कार्य योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- जी०एस०टी० लागू करने हेतु दिनांक 01.04.2017 की तिथि लक्ष्य रूप में रखी गई है। इस महत्वपूर्ण कर सुधार से कर आधार विस्तृत होने, कर अनुपालन में वृद्धि तथा राज्यों में कर दर की भिन्नता से बचाव जैसे लाभ मिलने की आशा है। जी०एस०टी० आर्थिक गतिविधियों को गति देगी तथा प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करेगी। यह कर प्रशासन को मुख्यधारा में लाएगी। इससे व्यापार में अवरोध हटेंगे तथा राज्यों एवं केन्द्र के राजस्व में वृद्धि होगी। इससे उद्योगों हेतु लागत मूल्य घटेगा तथा यह रोजगार के नवीन अवसरों को जन्म देगी।